

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न० 05942-235572 फ़ैक्स न० 05942-233549 ई-मेल—eedpwndtl@gmail.com

पत्रांक :- 1120 / 29 एम०जी०

दिनांक :- 24/05/23

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी, वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्गों के किमी० 0.00(देवलमल्ला) से किमी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/20099/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./2016/एफ.सी./54 दिनांक 24.04.2023

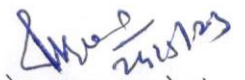
महोदय,

उपयुक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विचार करने के उपरान्त यह सूचित किया गया है कि प्रस्ताव पर एफ.आर.सी.एम. की बैठक दिनांक 19.05.2022 में चर्चानुसार प्रस्ताव को संशोधित कर क्षेत्रफल को कम करते हुए 0.91 हे० कर दिया गया था, परन्तु आनलाईन संशोधन नहीं किये गये थे जिसके उपरान्त भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा आनलाईन संशोधन हेतु लेख किया गया, जिसका उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव पर कुछ त्रुटिया पायी गयी है।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत् प्रेषित हैं।

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1.	The area corrections in online Part II by the DFO has not been made. State govt is requested to make necessary corrections after revision of the proposal in online Part II.	विषयगत प्रस्ताव के पार्ट— II में आवश्यक संशोधन आपके स्तर से किया जाना है।
2.	The plantation scheme for 1820 trees is required to be submitted along with the all details and digital map as well as the KML of the area selected for planting the trees.	1820 वृक्षों की रोपण योजना अपने स्तर से तैयार कराकर प्रेषित करने की कृपा करें।
3.	Necessary correction have not been made in Part I (B 2.1, B 2.2, C) and in Part II(1 iv, 2 and 3). The state government is requested to make necessary changes in all the required fields online and in the relevant documents.	ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट—I में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है Part II(1 iv, 2 and 3) में आवश्यक संशोधन आपके स्तर से किया जाना है। सभी प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन हेतु खण्ड (यूजर ऐजेंसी) द्वारा उक्त संशोधन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय



(इ० रत्नेश कुमार सक्सेना)

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख०, लो०नि०वि०

नैनीताल।

पत्रांक :- /

दिनांक :-

प्रतिलिपि:

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:

सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख०, लो०नि०वि०

नैनीताल।